



# कार्यालय नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

( हैरिटेज मुख्यालय भवन बडी चौपड़ हवामहल के पीछे जयपुर-01)



हैरिटेज क्रमांक : -एफ 0/आयुक्त (सा.प्र.)/ननिज (है)/ 201 दिनांक : 30-09-2021

## आदेश

राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक प.8 (ग)( )नियम 1043/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में प्रकरणों के निस्तारण हेतु विभिन्न प्रकरणों जैसे मानचित्र अनुमोदन, भू-पट्टी आवंटन, पट्टा जारी करने आदि के लिये नगर निगम जयपुर के मामलों में एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है:-


प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 की उप धारा (6) सहपठित धारा 337 की उपधारा (1) एवं (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194, (194 की उपधारा (7) के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोड़कर) 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 के अन्तर्गत मण्डल की प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गई है।

अभियान की अवधि के दौरान उपरोक्त वर्णित धाराओं के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करने तथा मानचित्र अनुमोदन (क्षेत्रफल 250 वर्ग मी.), भू-पट्टी आवंटन एवं निर्माणों के नियमन आदि कार्यों में मण्डल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्वरित निस्तारण हेतु एम्पावर्ड कमेटी द्वारा जोन स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- I. उपायुक्त जोन - अध्यक्ष
- II. अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता - सदस्य
- III. सहायक नगर नियोजक - सदस्य
- IV. राजस्व अधिकारी - सदस्य सचिव

नगर निगम में एम्पावर्ड समिति द्वारा जोन स्तरीय समिति गठित की जाकर उनको अधिकार/शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है।


- नोट:- (1) जोन स्तरीय समिति द्वारा सप्ताह में कम से कम पांच बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी।  
(2) समिति द्वारा आवश्यकता अनुरूप विधि अधिकारी/लेखाधिकारी को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा।  
(3) समिति में न्यूनतम 03 सदस्यों का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिये जावेंगे

  
(अवधेश मीना)  
IAS

आयुक्त  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

### प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार जयपुर
2. निजी सहायक महापौर महोदया/उपमहापौर महोदय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
3. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
4. समस्त उपायुक्त जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
5. उपायुक्त राजस्व-प्रथम-द्वितीय/आयोजना प्रथम-द्वितीय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
6. उप विधि परामर्शी/मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
7. अति. मुख्य नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।
8. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता नगर निगम जयपुर हैरिटेज
9. समस्त राजस्व अधिकारी, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज।
10. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी.....
11. गार्ड फाईल।

  
आयुक्त

नगर निगम जयपुर हैरिटेज